दूरभाष 0141–5196356 5196323
email-we.wshgi@gmail.com

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता

जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर,

क्रमांक एफ 13 (1)( )WE/WSHGI/comp/16-17/ 11436 दिनांक 24.6.2016

महिलाओं/बालिकाओं को कम्प्यूटर बेसिक कोर्स का निःशुल्क प्रशिक्षण योजना

परिपत्र

उद्देश्य–

वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी युग में कम्प्यूटर मनुष्य की महती आवश्यकता बन चुका है, इससे समय–समय पर समस्त आवश्यक कार्य सुगमता व शीघ्रता से संपन्न होते हैं। दैनिक जीवन के अधिकतर कार्य कम्प्यूटर द्वारा किये जा रहे हैं। इस सूचना प्रौद्योगिकी की जानकारी महिलाओं को दिलवाया जाना अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य से राज्य में महिलाओं को कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी एवं कार्य शैली से अवगत कराये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को बेसिक कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिलवाये जाने का प्रावधान किया गया है।

परिचय–

उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार की बजट घोषणा 2011–12 के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों की महिलाओं यथा गृहणी, किशोरी बालिकाएं, स्वयं सहायता समूह सदस्य, कॉलेज छात्राएं तथा बीपीएल व अल्प संख्यक वर्ग की महिलाओं को कम्प्यूटर बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लि. के माध्यम से दिलवाया जाएगा, जिसका समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

पाठ्यक्रम–

योजना के अंतर्गत निम्न दो प्रकार के पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसकी शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण अवधि, आयु व अन्य जानकारी निम्नानुसार है–

1. RS-CIT (राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इनफोरमेशन टेकनोलोजी)–

- प्रशिक्षण 132 घंटे (3 माह) की अवधि का होगा।
- 16–40 वर्ष आयु वर्ग की 10वीं पास महिला प्रशिक्षण हेतु पात्र होगी।

2. डिजिटल सहेली–"Elementary Computer Education for Women (ECEW)"

- प्रशिक्षण 50 घंटे (1 माह) की अवधि का होगा।
- 16–40 वर्ष तक की आयु वर्ग की 5वीं पास महिला प्रशिक्षण हेतु पात्र होगी।

आवेदन प्रकिया–

प्रशिक्षण की इच्छुक महिला/ बालिकाओं द्वारा किसी एक कोर्स के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जावेगा। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in व RKCL की वेबसाइट www.rkcl.in से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा आपके क्षेत्र में RKCL द्वारा संचालित चुनिन्दा आई.टी.ज्ञान केन्द्र/अटल सेवा केन्द्र (पंचायत समिति) से प्राप्त किया ज़ा सकता है।

आवेदन पत्र मय आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आयु एवं अपनी श्रेणी संबंधित प्रमाण पत्रों के पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक अपने क्षेत्र में RKCL द्वारा संचालित चुनिन्दा आई.टी.ज्ञान केन्द्र/अटल सेवा केन्द्र (पंचायत समिति) पर ऑनलाइन भरवाकर रसीद प्राप्त करें। उक्त के अतिरिक्त ई–मित्र, साईबर कैफे या अन्य किसी माध्यम से www.myrkcl.com/wcd पर ऑन लाईन आवेदन किया जा सकता है। योजना एवं चुनिन्दा IT ज्ञान केंद्रों की जानकारी विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

चयन प्रकिया–

निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर विभागीय निर्देशानुसार RKCL द्वारा वरियता सूची तैयार कर कार्यक्रम अधिकारी म.अ. के लॉगिन पर उपलब्ध करवाई जायगी। उक्त लॉगिन में उपलब्ध वरियता सूची की जांच कर जिला स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा जिलेवार एवं आईटी ज्ञान केन्द्र वार निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रशिक्षणार्थी का ऑन लाईन चयन किया जावेगा –

- **उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग**
- **कार्यकम अधिकारी, महिला अधिकारिता**
- **प्रभारी, RKCL प्रतिनिधि**

Cont: 3

निर्धारित लक्ष्यों से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में निम्नलिखित वरीयता से प्रशिक्षणार्थियों का चयन निम्नानुसार किया जाएगा:–

i. तलाकशुदा/विधवा।
ii. महिला स्वयं सहायता समूह सदस्य।
iii. किशोरी बालिका मण्डल सदस्य।
iv. हिंसा से पीडित महिला।
v. अनुसूचित जाति वर्ग की महिला।
vi. अनुसूचित जन जाति वर्ग की महिला ।

उक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों के चयन के पश्चात् शेष रही सीटों हेतु उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। समान शैक्षिणिक योग्यता की स्थिति में अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों को वरियता दी जाएगी।

प्रशिक्षणार्थियों के आई.टी.ज्ञान केन्द्र वार चयन के उपरात आर.के.सी.एल. द्वारा चयनित प्रशिक्षणार्थियों के मोबाईल/ई–मेल आई.डी पर रैफरेन्स नम्बर एवं आई.टी. ज्ञान केन्द्र (जिस हेतु प्रशिक्षणार्थी का चयन हुआ है) की सूचना दी जायेगी जिसके आधार पर प्रशिक्षणार्थी संबंधित आई.टी. ज्ञान केन्द्र पर प्रशिक्षण हेतु रिर्पोटिंग करेगे। प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के पश्चात् 15 दिवस में कार्यक्रम अधिकारी,म.अ./उप निदेशक,मबावि आई.टी.ज्ञान केन्द्र पर रिर्पोटिंग करने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सूची का ऑनलाईन सत्यापन करेगें जिसके आधार पर प्रशिक्षणार्थियों को लर्नर कोड जारी किये जायेगे।

<u>प्रशिक्षण–</u>

जिला स्तरीय समिति द्वारा चयनित प्रशिक्षणार्थियों को राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लि. द्वारा उनके चिन्हीत आई.टी. ज्ञान केन्द्रों पर चयनित कोर्स के अनुरुप प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति बायो मीट्रीक मशीन से की जाएगी एवं विभाग द्वारा तय समय पर ही आई.टी. ज्ञान केन्द्रो पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों को परीक्षा में भाग लेना होगा। RS-CIT कोर्स हेतु परीक्षा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा तथा डिजीटल सहेली कोर्स हेतु परीक्षा राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लि. द्वारा आयोजित की जाएगी। RS-CIT कोर्स में उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों के प्रमाण पत्र वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा तथा डिजीटल सहेली कोर्स में उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों के प्रमाण पत्र आर.के.सी.एल. द्वारा जारी किये जाएगे।

Cont: 4

<u>भुगतान–</u>

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लि. को प्रशिक्षण की इच्छुक महिला के नामांकन के पश्चात प्रशिक्षणार्थी कोड जारी होने पर प्रशिक्षण के लिए निर्धारित शुल्क 'राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इनफोरमेशन टेकनोलोजी' (RS-CIT) प्रशिक्षण हेतु रू 2700 प्रति संभागी व'डिजिटल सहेली' प्रशिक्षण हेतु रू 1100 प्रति संभागी की 50% राशि का भुगतान किया जाएगा। इसी प्रक्रिया से शेष 50% राशि का भुगतान प्रशिक्षणार्थी के परीक्षा में उत्तीर्ण होने तथा प्रशिक्षणार्थियों को उर्तीण होने का प्रमाणपत्र जारी किये जाने के पश्चात् किया जाएगा।

RKCL प्रशिक्षणार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण जिला स्तर पर कार्यकम अधिकारी से करवाकर बिल के साथ निदेशालय महिला अधिकारिता को प्रस्तुत करेगा।

संलग्न–आवेदन पत्र एवं सामान्य निर्देश

ऋचा खोडा
(ऋचा खोडा)
आयुक्त
महिला अधिकारिता
राजस्थान, जयपुर

कमांक एफ 13 (1)( )WE/WSHGI/comp/16-17/ 11437-613 दिनांक 29.6.2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, माननीया मंत्री महोदया, मबावि, राज., जयपुर
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर
5. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर
6. जिला कलक्टर, समस्त
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त
8. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर
9. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर
10. प्रबंध निदेशक, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लि. (RKCL) झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
11. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता
12. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त जिले
13. कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता समस्त जिले
14. ए.सी.पी.(डीडी) मुख्यालय को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु

अतिरिक्त निदेशक (WE)